

फार्म
अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष-2016 (दिनांक 31-12-2016 की स्थिति में)

23

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण : निरंक

- अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम : गोपाल छुगानी
- वर्तमान धारिता : अति. कार्यालय सहायक श्रेणी-2
- वर्तमान पता : सी-18, नर्मदा इन्कलेव, अयोध्या बायपास, भोपाल
- कार्यालय का पूरा नाम : परीक्षण एवं संचार वृत्त, म.प्र.पा.द्रा.कं.लि., गोविन्दपुरा, भोपाल
- वर्तमान फोन नंबर : 26090, + जी.पी. 4400
- विविध निधि क्रमांक : 23324709
- वर्तमान पता : सी-18, नर्मदा इन्कलेव, अयोध्या बायपास, भोपाल
- कर्मचारी संख्या : 89321458

क्र.	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी के साथ क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया:- खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	अयोध्या बायपास, भोपाल	एक डुप्लेक्स भवन क्र. सी-18 नर्मदा इन्कलेव, अयोध्या बायपास, भोपाल	निरंक	27 लाख	स्वयं के नाम से	एसबीआई, अयोध्यानगर शाखा से रु. 17,62,000/- हाउसिंग लोन प्राप्त कर मेसर्स मेसर्स शिवचेतन्य कंस्ट्रक्शन, भोपाल से कुल रूपये 20,50,000/- में क्रय किया गया, जिसका आधिपत्य जनवरी 2012 में प्राप्त हुआ।	निरंक	-
2-	करौंद बायपास, भोपाल	एक डुप्लेक्स क्र. सी-180, आरचर्ड प्रीमियर, पीपुल्स मॉल के पीछे, करौंद भोपाल	निरंक	36 लाख	स्वयं के नाम से	पूर्व में धारित प्लेट क्र. सी-7/1 को रूपये 19,00,000/- में विक्रय कर प्राप्त विक्रय कीमत एवं 17,00,000/- हाउसिंग लोन प्राप्त कर मेसर्स स्वदेश बिल्डर्स, भोपाल से आर्चर्ड प्रीमियर, करौंद में डुप्लेक्स भवन क्रय किया गया जिसका आधिपत्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है।	निरंक	उक्त डुप्लेक्स की रजिस्ट्री बिल्टर द्वारा मेरे नाम पर करवा दी गई है परन्तु आधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर :

नाम : गोपाल छुगानी
पद : अति.कार्यालय सहा.श्रेणी-2
कार्यालय : अधीक्षण यंत्री(परीक्षण एवं संचार),म.प्र.पा.द्रा.कं.,भोपाल

जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

इसमें उल्लेखित पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :-

मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।

Sri Parag 13
21/11/2017
21/11
POL